श्री मोती भाई आर. चौधरी: **
अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है ।

12.19 hrs.

(Shri Motibhai R. Chaudhary then left the House)

12.19 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED SHORTALL IN INTEREST ACCOUNT OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:--

"कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ब्याज खाते में 26.4 करोड़ रूपये की कमी, जिसका मुख्य कारण सरकारी गारंटीशुदा प्रत्याभूतियों में बड़ी राशियों का लगाया जाना है, जिन पर ब्याज की दर कम है, के समाचार तथा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

12.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, The pattern of investment is prescribed by Government from time to time under para 52 of the Employees' provident Fund Scheme. Initially Government required that all the monies be invested in Government securities. The investment pattern had since been liberalised and was in force from 1-1-1979 to 31-12-1980 as under:—

(i) Central Government securities	Not less than 20%
(ii) State Government securities and Government guaranteed securities.	Not less than 20%
(iii) Post Office Time Deposit and seven years National Savings Certificates (Second and Third issue).	Not exceeding 35%
(iv) Special Deposits Scheme	Not exceeding 25%

It has been further liberalised with effect from 1st January, 1981, as under:—

(i) Central Government securities	Not less than 15%
(ii) State Government securities and Government guaranteed securities.	Not less than 15%
(iii) Post Office Time Deposits and seven years National Savings Certificates (Second and Third issue).	Not exceeding 40%
(iv) Special Deposits Scheme	Not exceeding 30%

**Not recorded.

The existing investments are however not affected until they mature or unless the conversion is permitted.

As on 31st March, 1980, the total investment in respect of unexempted establishments amounted to Rs. 2500.05 crores as under:—

(i)	Central Government securities	Rs. 774.85 crores.
(ii)	State Government securities and Government guaranteed securities.	Rs. 543.28 crores.
(iii)	Post Office Time Deposits and Small savings	Rs. 651.08 crores.
(iv)	Special Deposit Scheme	Rs. 530.84 crores.

The rate of interest in the case of post office time deposits is at present 10.5 per cent per annum while the rate of interest on special deposits is at present 10 per cent per annum. The rate of interest in the case of Government securities, Government guranteed securities and savings certificates range from 3 to 6.5 per cent. The average rate of interest earned in respect of the investments relating to unexempted establishments during the year 1979-80 has been reported to be 7.6 per cent.

According to para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 the account of each member is to be credited with interest at such rate as may be determined by the Central Government in consultation with the Central Board of Trustees of the Fund.

The rate of interest declared has ranged from 3 per cent in 1952-53 to 8.25 per cent during 1980-81. The rates of interest declared during the last three years has been as follows:—

1978-79	8·25% plus 1/2% bonus for not withdrawing any amount from the Provident Fund during the years 1976-77 and 1977-78.
1979-80	8·25%
1980-81	8·25%

The rate of interest credited to the accounts of the subscribers has been higher than the rate of interest earned on the investments in the recent past. The Cummulative short-fall in the interest account upto 1980-81 is estimated to be Rs. 26.42 crores.

It has always been the endeavour of the Government to liberalise the pattern of investments so that they may earn higher rate of interest. As stated earlier the Government have recently revised the pattern with effect from 1-1-1981. It is expected that consequent on this revision the interest earnings would increase in the future when it may be possible to wipe out the total short-fall in the interest account in another four years as shown below:—

Year	Amount of Short-fall
1980-81	Rs. 26·42 crores
1981-82	Rs. 21·11 crores
1982-83	Rs. 16·56 crores
1983-84	Rs. 9·11 crores
1984-85	Nil.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है उसी सन्दर्भ में मैं कुछ बातें निवेदन करूंगा । इन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि जो इंटरेस्ट का रेट निर्धारित किया है उसके मुताबिक 8.25 से 8.5 परसेंट उसमें और भी शार्टफाल आई है और भविष्य में भी उस शार्टफाल में बढ़ोत्तरी होने वाली है । आप देखें कि जो एम्प्लाईज प्राविडेन्ट फंड्स की रिव्यू कमेटी मिस्टर जी रामानुजम की अध्यक्षता में बनाई गई उसमें भी यह उल्लेख किया है कि 78-79 में यह 86.5 मिलियन रुपये था, 79-80 में 100 मिलियन और 80-81 में 264.2 मिलियन रुपये का शार्टफाल इस में होगा । आप इस से अन्दाजा लगा लें । इन्होंने आगे के आंकड़े अन्त में दे दिए हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करेंगे लेकिन मैं पीछे की बात याद दिलाना चाहता हूं, पीछे भी क्या हुआ, कम करने के स्थान पर यह शार्टफाल और करते चले गए, स्थिति को और भी भयानक बनाते गए ।

आप यह देखें कि मार्च 1981 तक 93 हजार 64 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिस में एग्जम्पटेड सहित 106.6 मिलियन सदस्क्राइबर हैं जिनका टोटल अंशदान 64377.20 मिलियन हैं और उस के इनवेस्टमेंट का टोटल है 58473.70 मिलियन । 70 प्रतिशत लोगों ने अपने श्रम के पैसे का 8 परसेन्ट दिया और 30 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6.25 प्रतिशत दिया ।

एक तरफ तो स्थिति यह है, आप देखें कि रुपये की जो वैल्यू है उस की स्थिति क्या है और आप दूसरी तरफ तुलना करें दूसरे डिपाजिट्स से । सरकार को चाहिए कि वह अपने यहां के विभागों को देख ले-फिक्सड डिपाजिट पोस्ट आफिस वाला जो है उसका रेट आफ इंटरेस्ट क्या है और सेविंग सर्टिफिकेट के या स्पेशल डिपाजिट्स के अन्दर क्या है । यह दर प्रतिशत से उपर है । तो यह मजदूर हितैषी सरकार जो अपने को कहती रही है इस सरकार के तौर तरीके मजदूर हितैषी नहीं हैं क्योंकि आप देखें कि उन्होंने सब से कम रेट मजदूरों के लिए रखा है । उस कर्मचारी के भविष्य के लिए या उस की मृत्यु होने पर उस के परिवार वालों के लिए एक सेक्यारिटी के रूप में यह निधि थी कि अपने बुढ़ापे वह यह पैसा पायेगा लेकिन आप ने उस की स्थिति बहुत खराब कर डाली और आने वाले दिनों में उस में और भी घाटा बढ़ता चला जाएगा । एक तरफ तो यह हालत है ।

दूसरी तरफ ब्याज वाली बात भी मैंने अर्ज की कि ब्याज आप ने इतना कम कर दिया । इसके अलावा आप देखें यह मैच्योर कब होता । अभी यह 1981, 82, 83, 84 चलता जायगा, आगे जाकर 2000 जब आएगा तब यह मैच्योर होगा । तो उस वक्त की देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी सरकार को विचार करना होगा ।

आप पैटर्न बदलने की बात करते हैं, लेकिन पैटर्न आप क्या बदलेंगे ? आप ने अभी तक रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर कितना अमल किया ? उस पर कुछ भी अमल करने की बात आप ने नहीं की है । मैं यह जानना चाहूंगा, आप बताएं कि मिस्टर रामानुजम की जो रिव्यू कमेटी थी एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फंड के बारे में उस ने जो सिफारिश की है उस पर कितना अमल किया है या क्या अभी तक वह विचाराधीन है ? एक बात तो आप यह नोट कर लें और मुझे बताएं ।

दूसरे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक 5742.32 लाख रुपया बकाया है । इस का उल्लेख इसमें नहीं आया है कि इतनी निधि हमारे पास आती है । आपको बहुत से प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी होगी कि वह पैसा रोके हुए हैं, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, उस के ब्याज का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । दूसरी तरफ कर्मचारी के लिए प्रश्न पैदा होता है कि वह कर्मचारी रिटायर होकर जाता है तो उसे कमिश्नर के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं । हमारे यहां कानपुर में एक दफ्तर है, वहां लोग चक्कर काटते रहते हैं, कहीं कोई मर गया तो उस की विधवा चक्कर काटती

रहती है । इतना करप्शन है वहां कि जिस की कोई हद नहीं । तो एक तरफ तो यह करप्शन है दूसरी तरफ जो हकदार हैं, जिन को हक मिलना है उस के रास्ते में दिक्कत पैदा होती है । प्राविडेन्ट फंड की जो यह स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है ? यदि आपने कोई उद्देश्य निर्धारित किया है तो आपको कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि इस में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके । आपने कोई रचनात्मक बात अपने जवाब में नहीं कही है । इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मजदूर और भी अधिक कांट्रिब्यूशन दें लेकिन मजदूर किस तरह देगा जबकि उसके खून-पसीने की कमाई पर उचित ब्याज भी न मिले और दूसरी तरफ हर एक चीज के दाम बढ़ते चले जायें । मैं चाहूंगा इन सारी बातों की सफाई इस सदन के समक्ष होनी चाहिए। मैंने करप्शन वाली बात भी कही है उस को भी रोकना पड़ेगा नहीं तो पैसा रुका रहेगा। मैंने यह भी अर्ज किया है कि रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहती हूं कि मैंने अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा कि शार्टफाल अगले दिनों में भी बढ़ता जायेगा बल्कि मैंने कहा कि 1985 आते आते यह निल हो जायेगा ।

जहां तक रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि उनकी रेकमेंडेशन्स हैं :

"Since the Government has taken the responsibility to decide the rate of interest, it is necessary for the Government to review the investment policy from time to time in the light of prevailing interest rates. The rate of interest allowed to the subscribers should provide for a reasonable return taking into account the erosion in the value of rupee on the one hand and rate of interest on investments and deposits with the public sector and on long-term deposits with banks."

These recommendations are under consideration of the Government.

श्री राम विलास पासवान (हाजिपुर) उपाध्यक्ष महोदय, प्राविडेन्ट फन्ड का जो उद्देश्य है, अगर आज 1981 में हम विचार करें तो उद्देश्य की पूर्ति की बात तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूं, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी । मेरे पास यह स्टेट बैंक की पैम्फलेट है ।

"You can get extra income every month even after you retire."

स्टेट बैंक में यदि कोई आदमी 120 महीने तक 100 रुपये प्रति मास डिपाजिट करता है तो 120 महीने यानी दस साल के बाद उसको प्रति माह 169 रुपये मिलेंगे और उसके खाते में 20,557 रुपए जमा रहेंगे । इतना उसको मिलेगा अगर वह दस साल तक जमा करता है लेकिन अगर वह बीस या तीस साल तक जमा करता है तो आप 169 रुपयों को तीन से गुना कर दीजिए, उसको करीब पांच सौ से कुछ उपर प्रति माह मिलता रहेगा और उसके खाते में 60 हजार से उपर जमा रहेगा । लेकिन अगर कोई आदमी आपके यहां इतना पैसा जमा करता है तो उसको क्या मिलेगा ? आपने बहुत कोशिश करके 8.5 परसेन्ट इन्टरेस्ट किया है । अब कोई मूर्ख आदमी ही होगा जो अपना पैसा काटा कर 8.5 परसेन्ट के ब्याज पर आपके पास जमा करेगा । अगर वह किसी बैंक में फिक्सड डिपाजिट में अपना पैसा जमा करता है तो उसको कई गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है ।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को इन्होंने परिधि से बाहर रखा है । बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक लिस्ट मिली है, राज्य सभा में जो जवाब दिया गया उसमें बताया कि किन लोगों को परिधि से बाहर रखा है । यह रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें परिधि 2(ग) में कहा गया है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को जिन्हें अधिनियम की परिधि से बाहर

[श्री राम विलास पासवान]

नहीं रखा गया है । इस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात छूट की अनुमति दी जाए, क्योंकि कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ अधिनियम के अधीन दिये जाने वाले लाभ के अनुकूल नहीं है । आप जब किसी परिधि के बाहर छूट देते हैं, तो किस आधार पर देते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है ? बड़े-बड़े बिजनेस मैन और बड़े-बड़े मोनोपोलिस्ट को आपने छूट दे रखी है । कोई कहता है कि 3 परसेन्ट देता है, कोई चार परसेन्ट देता है, कोई पांच परसेन्ट देता है, इसी तरह मेघालय में एक को-आपरेटिव है जो 3 परसेन्ट देती है । इलैक्ट्रिक सप्लाई डिब्रूगढ़ 4.5 परसेन्ट देता है । इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है । एक रैनबेक्सी लैबोरेट्री है, जो आठ परसेंट देती है। इस लिस्ट में गवर्नमेंट की और पब्लिक अण्डरटेकिंग दोनों ही सम्मिलित हैं । इस तरह से सारे का सारा करोड़ों रुपया मोनोपोलिस्ट्स के हाथ में प्रतिवर्ष जा रहा है-- क्या कभी आपने इस पर विचार किया है । अगर किसी को परिधि से बाहर छूट देते हैं, तो नियम के मुताबिक दी जाती है और वह इसलिए दी जाती है कि वह मजदूरों के हित में ज्यादा काम करेगा, इम्पलाइज के हित में ज्यादा रक्षा करेगा । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक तरफ तो मजदूर से पैसा काटते हैं और दूसरी तरफ जो राशि उसको जमा करनी चाहिए, वह अंशदान भी जमा नहीं कर पाता है ।

अभी मैं एक अखबार देख रहा था जो कि मैं लाना भूल गया हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वह भिखारिन नहीं थी, वह काम करती थी । काम करने के बाद जब उसको पैन्शन लेने का समय आया तो वह अपना रुपया निकालने के लिए रोज दरवाजों पर जाती, लेकिन उसको धक्का दे दिया जाता यह कह कर कि यह भिखारिन है । जब उसने एक आफिसर के सामने गिड़गिड़ाया तो वह चैकिंग करने के लिए गया निकाला और जो उसका 2400 रु. के करीब था, तुरन्त मिला । यह तो तो उसका 20 मिनट के अन्दर रिकार्ड एक भिखारिन की स्थिति है, तो औरों की क्या हालत होती होगी । एक तो आपका इन्टरेस्ट कम है और दूसरी तरफ जिनको अपनी तरफ से अंशदान जमा करना चाहिए, वह नहीं हो पाता है और तीसरे जिसका जमा है उसको निकालने में भिखारी के समान ट्रीट किया जाता है ।

इसी सम्बन्ध में राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था, रामानुजम कमेटी की रिपोर्ट पर कौन सहमत होगा या नहीं होगा यह अलग चीज है आपने यह कहा है कि वह रिपोर्ट आपके विचाराधीन है, तो यह कितने दिनों तक आपके विचाराधीन रहती है ? अभी आपने जवाब में कहा कि 1985 तक यह शून्य हो जाएगा . . .

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : शार्ट-फाल

श्री राम विलास पासवान : लेकिन यदि तीन साल की फीगर्स को देखा जाए, तो इन तीन साल में फीगर्स बढ़ती चली गई है । यह सौ से भी कम में शुरू होता है और 26 करोड़ तक पहुंच जाती है । आप क्या बतलायेंगी कि 1977-78 और 1978-79 में कितना शार्टफाल हुआ और यह आप किस आधार पर कह रहे हैं, यह हमको नहीं पता है ? थोड़ा सा इन्टरेस्ट बढ़ाने के कारण यदि आप समझती हैं कि 1984-85 में जाकर शार्टफाल हो जाएगा, यदि हम 85 तक रहे तो मैं 1984 में आपसे पूछूंगा कि कितनी वृद्धि हुई है और यह आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रोवीडेंट फण्ड का कितना पैसा बकाया है ? आपने वह भी कहा है कि रामानुजम कमेटी के रिपोर्ट को कड़ाई से इस्तेमाल करना चाहिए, इस संबंध में मैंने पहले ही आपको एक स्टेटमेंट देकर उदाहरण दिया था। क्या आप कोई नीति बनाने जा रहे हैं कि जिस तरह से स्टेट बैंक में फिक्स्ड-डिपोजिट जमा होता है और उस पर जो इन्टरेस्ट दिया जाता है, उसी तरह से इन को भी देंगे । क्या कारण है कि उन को कम मुनाफा मिले, उन को भी उसी अनुपात में मिलना चाहिये जिस तरह से स्टेट बैंक और दूसरे बैंकों से मिलता है। दूसरा प्रश्न--किसकी तरफ

कितना रूपया बकाया है और उस को निकालने के लिये-- चाहे वह अंशदान के रूप में हो या किसी भी दान के रूप में हो, उस को निकालने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं । जो मजदूरों का हक अभी तक मारा गया है--यह ठीक है कि भविष्य के लिये आप योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जिसे वह हड़प गये हैं उस को निकालने के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री राजेश कुमार सिंह: क्या सरकार रेट-आफ-इन्टरेस्ट बढ़ायेगी ?

श्रीमती रामदुलारी सिंन्हा: मैं तो चाहती थी कि माननीय सदस्य सब प्रश्नों को नम्बर से--1, 2, 3, 4, 5--लिख कर दे देते तो मैं बारी-बारी से उत्तर दे देती । फिर भी मैं जितना सुन सकी हूं उत्तर देने का प्रयास करती हूं । आपने रामानुजम कमेटी की रिकमेण्डेशन्ज के लिये बहुत जोर दिया है। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि सरकार उन पर विचार कर रही है। उस रिपोर्ट में 71 रिकमेण्डेशन्ज हैं, सब पर विचार करना होगा । लेकिन जहां तक "एक्सम्प्टेड इस्टेब्लिशमेन्ट्स" का प्रश्न है--मैं कहना चाहती हूं--

There are 3085 exempted establishments as on 31-3-1980. They had a total investment of Rs. 3347.32 crores. These establishments also require to make these investments in accordance with the pattern prescribed in the order by Government from time to time. According to a condition prescribed in the order granting exemption effective from 1975, the exempted establishments are also required to credit interest to the accounts of the subscribers at the same rate prescribed by the Government. It has come to notice that most of these establishments are crediting interest to the accounts of the subscribers at lower rates, and that a sub-committee of the Central Board of Trustees has been set up to go into the details. Mr. Pradhuman Singh is the Chairman of the Committee.

जहां तक स्टेप्स का सवाल है--

Several steps have been taken to simplify the forms and procedures for speedy settlements of provident fund claims. The RPFCs have been directed to hear the grievances of subscribers and take immediate remedial measures. Over the years Government have been allowing higher rate of interest on the provident fund deposits of the employees, starting with 3 per cent rate of interest in 1952-53 the Government have increased the rate of 8.25 per cent in 1980-81.

श्री रामविलास पासवान: मेरे दो प्रश्न थे और बहुत सीधे प्रश्न थे--जितने इस्टेब्लिशमेन्टस के नाम आप ने गिनाये हैं--उनके पास कितना डिपाजिट है ? दूसरा--स्टेट बैंक और दूसरी जगहों पर जो रकम जमा होती है उस में 10 साल या 20 साल के बाद जितना पैसा मिलता है क्या उतना पैसा आप इन को भी देंगे ?

श्री राजेश्वर शास्त्री: रेट आफ-इन्टरेस्ट बढ़ाइए ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. VENKATA REDDY): Sir, under para 52 of the EPF Scheme, all monies belonging to the fund are required to be invested in trust securities mentioned in clauses (a) and (d) of Section 20 of the Indian Trust Act. Further, the maximum rate of interest paid by the national banks is 10 per cent. The rate of interest earned at present on Post Office Time Deposit is 10.5 per cent and on special deposits, it is 10 per cent. Both of them constitute 70 per cent of the total allocations. The remaining 30 per cent is to be invested in Central Government security deposit 15 per cent and in the State Government security or guarantee deposit 15 per cent. The yield out of the Central Government security deposit is 7.75 per cent.

श्री रामविलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी रक्षा कीजिये । मैंने क्या प्रश्न किया था और जवाब क्या आ रहा है । मेरा सीधा सा प्रश्न था कि जितने इस्टेब्लिशमेन्टस के आपने नाम लिये हैं उनके यहां

[श्री राम विलास पासवान]

कितना डिफाल्ट है ? दूसरे--जहां तक इन्टरेस्ट का सवाल है, इन्होंने कह दिया है कि 15% है, 3 और 4 प्रतिशत का इन्होंने नाम ही नहीं लिया जो ये मिनिमम देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट बैंक में जमा करने से जितना ब्याज मिलता है क्या आप उतना देने के लिये तैयार हैं। आप सूद की दर बढ़ाईये, जितना स्टेट बैंक से मिलता है उतना दीजिये।

SHRI P. VENKATA REDDY: This is completely in accordance with the pattern of investment for the G.P.F. of the non-governmental. (*Interruptions*).

श्री राम विलास पासवान : आप रिपोर्ट पढ़ते हैं*, जवाब दीजिए।

SHRI P. VENKATA REDDY: As per the Act, these moneys are to be invested according to the pattern prescribed by the Government. Security have to be taken. That is why, as per the Act, you cannot invest this in the nationalised banks.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wanted to know the amount involved in respect of the defaulted employers, who have not deposited the provident fund.

SHRI P. VENKATA REDDY: It is altogether a different question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wanted that information. If you have got it, you can furnish it to him.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: It is connected with that... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you have got that information, you can give that.

SHRI P. VENKATA REDDY: That figure is not available.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इसके लिए फ्रेश नोटिस चाहिए . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not available; they will furnish it.

श्री रामविलास पासवान : इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ही कालिंग अटेंशन लिया गया है, नहीं तो स्टार्ड क्वेचन भी लिया जा सकता था। 26 करोड़ रुपये का मामला है और इसके अलावा भी करोड़ों रूपया जो कि खून-पसीने की कमाई है वह बर्बाद हो रहा है और आप इतना टेक्नालाजी में जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरा सीधा प्रश्न था.. (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If I have understood, your question is that the nationalised banks pay more interest, but these organisations give only 5 per cent. Why should they not get the maximum benefit?

SHRI P. VENKATA REDDY: It is not correct. These amounts are to be invested as per the policy of the Government. Seventy per cent of the total amount is being invested in the high-yielding interest deposits, that is post office savings deposit. There the rate is 10.5 per cent, and the special deposits rate is 10 per cent. This accounts for seventy per cent deposits. Only 30 per cent, 15 per cent are in the State securities and 15 per cent in the Central securities, where the rate is 7.5 per cent and that is low-yielding..(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why that difference?

SHRI P. VENKATA REDDY: It is in conformity with other non-government employees provident fund schemes...(*Interruptions*)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Where is the Labour Minister? I am raising a question of priority. The other House is not in session. The Minister has to be in the House..(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Any Minister can be there.

SHRI BIJU PATNAIK (Kendrapara): Not on a calling attention; the Minister incharge must be there.... (*Interruptions*).

श्री रामविलास पासवान : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरा कहना यह है कि मेरा प्रश्न नीति-संबंधी है। क्या स्टेट-मिनिस्टर नीति-संबंधी मामले में जवाब देने में सक्षम हैं, क्योंकि नीति का मामला केबिनेट में उठाया जाता है । जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं तो ये कैसे जवाब दे रहे हैं ? (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER: They have replied. It is calling attention.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): They ought to have raised it earlier.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The Labour Minister has gone to Assam; he is not here to reply to this calling attention.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Minister of State is here; it is not incumbent that when a policy matter is discussed the Cabinet Minister should be there.. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Minister of State is here.

श्री राम विलास पासवान: अर्निंग को इम्प्रूव करने में आपका मतलब क्या है? इंटरेस्ट देते हैं तो एक ही तरीके से सब जगह देते हैं आपको क्या आपत्ति है ? डिफाल्ट कितना है?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैंने कहा है कि दूसरा नोटिस दे दें तो बता दूंगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not one of the issues. This is Calling Attention.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, the Calling Attention should be withheld.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is Calling Attention.

SHRI BIJU PATNAIK: So let it be withheld.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Yes, because satisfactory reply has not been sent.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling attention is only with regard to this Rs. 26.4 crores on interest account. That information has been given.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: No, let it be withheld.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I go to next.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You are protecting them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. I am protecting you.

With regard to the Calling Attention, the information is furnished and I am satisfied.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Are you satisfied?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I myself put some questions and got information.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But you have no answers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are raising issues.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Defaulted amount is not policy issue.

MR. DEPUTY-SPEAKER: With regard to the defaulted amount, they have said it is not immediately available.

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । पार्लिमेंट में कालिंग एटेंशन के समय या किसी भी समय पालिसी मैटर के ऊपर चर्चा उठा सकते हैं या नहीं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Calling Attention is only pertaining to the subject matter which you have raised.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI: But many things may be asked.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you can raise all the relevant points. If information is available, they will furnish; if information is not available, they will not furnish.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Why information is not available?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Are you satisfied with the information given?

MR. DEPUTY-SPEAKER: As far as the Calling Attention is concerned, and whatever information was asked, they have said the defaulted amount they do not know. They have said they will furnish it. That is all. In regard to Calling Attention, I cannot compel them to give the type of reply you want.

———

12.53 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Report request by West Bengal Government for permission of Reserve Bank to set up its own Banking Company.

SHRI MATILAL HASDA: Sir, the West Bengal Government sought the permission of the Reserve Bank of India to set up its own banking company with an authorised capital of Rs. 5 crore, clarifying the background against which the State Government proposed to set up its own bank.

The Commercial Banks were reluctant to give agricultural loans to the poor village people on the ground that the repayments were discouraging. But they did not feel any aversion in the cases of big industrialists they did not repay about Rs. 230 though they did not repay about Rs. 230 crore. The banks in West Bengal lent Rs. 1.39 crores to the share croppers in 1980. The recovery in this case was 40 per cent and it was better than any other State. Still, the commercial banks' role in West Bengal remains disappointing.

Under the circumstances, I urge upon the Finance Minister that the licence to set up the West Bengal Government's bank be granted immediately, and the Minister may give a statement in the House in this regard.

(ii) Reported demolitions by D.D.A. in Preet Nagar Extension Area, Delhi

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : दिल्ली सरकार की नाक के नीचे यमुना पार में डी. डी. ए. (दिल्ली विकास प्राधिकरण) मकानों के तोड़-फोड़ एवं सामानों की लूट का सिलसिला फिर से चालू कर दिया है। विनोद नगर के लोगों के घाव भरने भी नहीं पाये थे कि ठीक उसी के निकट प्रीत नगर एक्सटेंशन के 150 से अधिक मकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। इतना ही नहीं लोगों के सारे सामान उठवा कर ले जाये गये।

होली से पूर्व डी. डी. ए. ने प्रीत नगर एक्सटेंशन के निवासियों के साथ 17 मार्च को जो होली खेली उसके कारण 150 से भी अधिक परिवार दर दर के भिखारी बन गए हैं।

गत चुनाव के समय 1976 से पहले बसी बस्तियों को नियमित करने का नारा दिया गया था पर अब उन्हें उजाड़ा जा रहा है। बलिहारी है वादा करके आसानी के साथ मुकर जाने वालों की।

पटपड़गंज डिपो के साथ ही मण्डावली-फाजलपुर की जमीन पर 6, 7 वर्ष पहले से प्रीत नगर एक्सटेन्सन नामक यह कालोनी बसनी शुरू हुई थी। परन्तु डी.डी.ए. ने उसे उजाड़कर श्मशान बना दिया। लोगों का कहना है कि यह जमीन डी.डी.ए. की नहीं है और अभी तक कोई अधिसूचना नहीं जारी की गयी है।

लोगों का यह भी कहना है कि जिन शक्तिशाली लोगों ने दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन को बेच कर उन पर कालोनियां बना दी हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।